यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ के माह 04/2015 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वजय कुमार वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.11.2017 से 29.11.2017 तक श्री एस0के0 जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- यह इकाई की प्रथम लेखापीरक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- आंगनबाड़ी केन्दो के माध्यम से लाभा थयों को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरन 5-पोषण एवं स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शक्षा) मुंस्यारी वकास खण्ड।

(II) (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	--	38.88	31.72	168.72	150.97	--	24.91
2016-17	--	--	42.74	33.30	161.74	143.27	--	27.91
2017-18 (10/2017 तक)	--	--	25.66	24.80	97.72	37.20	--	61.38

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय	आ धक्य	बचत (-)
2015-16	आई0सी0डी0एस0 का संचालन/ क्रयान्वयन	00	61.25	44.77	00	16.48
	पुष्ट्आहार कार्यक्रमो के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदित की व्यस्था।	00	35.00	35.00	00	00
	आई0सी0डी0एस0 के अंतर्गत एससी बाहुल्य ग्रामो में आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन/ क्रर्यान्यन		4.13	3.99	00	0.14
	आई0सी0डी0एस0 SC के लए कॉम्पोनेंट प्लान।	00	3.0	3.0	00	00
	आई0सी0डी0एस0के अंतर्गत ST बाहुल्य ग्रामो में आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन/ क्रर्यान्यन		6.47	5.14	00	1.33
	आई0सी0डी0एस0 ST के लए कॉमपोनेंट प्लान।	00	5.0	5.0	00	00
2016-17	आई0सी0डी0एस0 का संचालन/ क्रर्यान्यन	00	47.5	39.87	00	7.63
	पुष्टआहार क्रायक्रमो के अंतर्गत दिया जाना वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यस्था।	00	42.0	42.00	00	00
	आई0सी0डी0एस0 SC बाहुल्य ग्रामो में आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन/ क्रर्यान्यन	00	4.5	3.91	00	0.59
	आई0सी0डी0एस0 SC के लए कॉम्पोनेंट प्लान।	00	3.5	3.5	00	00
	आई0सी0डी0एस0के अंतर्गत ST बाहुल्य ग्रामो में आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन/ क्रर्यान्यन	00	7.5	4.68	00	2.82
	आई0सी0डी0एस0 ST के लए कॉमपोनेंट प्लान।	00	6.0	6.0	00	00
2017-18 10/2017	आई0सी0डी0एस0 का संचालन/ क्रयान्वयन	00	23.25	22.20	00	1.05
	पुष्टआहार क्रायक्रमो के अंतर्गत दिया जाना वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यस्था।	00	30.62	00	00	30.62
	आई0सी0डी0एस0 SC बाहुल्य ग्रामो में आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन/ क्रर्यान्यन	00	4.5	2.54	00	1.96
	आई0सी0डी0एस0 SC के लए कॉम्पोनेंट प्लान।	00	6.1	00	00	6.1
	आई0सी0डी0एस0के अंतर्गत ST बाहुल्य ग्रामो में आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन/ क्रर्यान्यन	00	5.0	3.15	00	1.85
	आई0सी0डी0एस0 SC के लए कॉम्पोनेंट प्लान।	00	8.0	00	00	8.0

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्र्तगत इकाई आती है, उसे इंगति कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक 3. डी0पी0ओ0 4. सी0डी0पी0ओ0

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अ धकारी अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01** :- धनरा श की उपलब्धता के बावजूद वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 251 लाभा थयो को योजना के लाभ से वं चत रख **₹ 37.65** लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखा जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा वकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप में ₹ 15000/- की धनरा श तीन कश्तों में प्रदान की जायेगी।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुनस्यारी के योजना के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया क योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 की अव ध हेतु पात्र 441 आवेदको को भुगतान करने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी पथौरागढ़ द्वारा ₹ 66.15 लाख की धनरा श उपलब्ध कराई गयी थी परंतु इकाई द्वारा इस कार्य में श थलता बरतते हुए लेखापरीक्षा अव ध (नवम्बर 2017) तक कुल 190 आवेदको को ही धनरा श का भुगतान कर लाभान्वित कया गया था जब क 251 आवेदको को योजना के लाभ से वं चत रख इस धनरा श (₹ 37,65,000/-) को इकाई के बैंक खाते में अवरूद्ध रखा गया था, जो योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत था। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क लाभा थयों के बैंक खातो का ववरण उपलब्ध न होने के कारण धनरा श का भुगतान नहीं कया जा सका वं चत लाभा थयों को शीघ्र ही योजना का लाभ प्रदान कया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्यों क योजना के निर्देसानुसार आवेदनपत्र प्राप्त करते समय ही गहनता पूर्वक जाँच करते हुये समस्त जानकारी प्राप्त कर लया जाना वभाग का दायित्व था, योजना की धनरा श प्राप्त हो जाने के बाद उसको व भन्न कारणो का हवाला देकर रोका जाना उ चत नहीं था।

अतः धनरा श की उपलब्धता के बावजूद वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 251 लाभा थयों को योजना के लाभ से वं चत रख ₹ 37.65 लाख की धनरा श को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **02** :- वर्ष **2015-16** में **₹ 55.00** लाख तथा वर्ष **2016-17** में **₹ 61.40** लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10/02/2016 तथा आई0सी0डी0एस0 निदेशालय देहरादून के पत्रांक C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05/04/2017 द्वारा मुख्यंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनरा श के व्यय होने के पश्चात संबं धत मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संक लत करते हुए बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में ₹ 12.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 9.90 लाख की धनरा श अधीनस्थ आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों के खातों में e-payment/transfer द्वारा हस्तांतरित की गई थी। माता स मतियों के खातों में हस्तांतरित धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र इकाई द्वारा प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (11/2017) उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कए गए थे।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 43.00 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में ₹ 43.00 लाख का व्यय कया गया था तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 51.50 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 51.50 लाख का व्यय कया गया था तथा अवशेष धनरा श सम र्पत की गई थी। व्यय की गई धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा ति थ तक प्राप्त नहीं कए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क माता स मतियों को दी गई धनरा श के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सुपरवाईजरों को निर्देश दिये जा रहे है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2015-16 में ₹ 55.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 61.40 लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **03** :- ब्याज प्राप्ति **₹ 4,98,825/-** की धनरा श राजकोष में जमा न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वत्त वभाग के शासनादेश सं0 U.O 18/XXVII(6)-टी.सी.ए. 934-2014, दिनांक 21/04/2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास अनुभाग के आदेश सं0 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26/04/2017 के अनुसार प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनरा श बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक वत्तीय अनिय मतता है तथा निर्दे शत कया है क जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनरा श राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03/09/2009 द्वारा भी निर्दे शत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समे कत नि ध से आहरित धनरा श का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनरा श राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा कया जाय।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ के अ भलेखों की नमूना लेखापीरक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में व भन्न योजनाओं की जमा धनरा शयों पर कुल 4,98,825/- का ब्याज अर्जित कया गया था जो लेखापरीक्षा ति थ (नवम्बर 2017) तक बैंक खाते में ही पड़ा था। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा कया जाना अपे क्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (नवम्बर 2017) तक उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा नही की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में ब्याज की धनरा श जमा नहीं की जा सकी जिसे यथा शीघ्र जमा करा दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः 4,98,825/- की ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
34/2016-17	शून्य	01,02,03,
126/2014-15	शून्य	01,02,

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा तैयार की जा रही थी, जिसे उच्च अ धकारियों की संस्तुति के पश्चात लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्रीमती कलावती राणा,	सी0डी0पी0ओ0	12 जुलाई, 2012 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल वकास परियोजना अ धकारी, मुंस्यारी, पथौरागढ़ को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.